रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY.

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2003 (कार्तिक 17, 1925)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2003 (KARTIKA 17, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV

PART IV

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं

[Notifications and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Controller of Publication

CHANGE OF NAMES

I, hitherto known as SHRI SAMEER MADHUSUDHAN GAVKAR employed as Driver (OG) in the Personnel Division, Transport/CDS Section, Bhabha Atomic Research Centre residing at Bldg No. 74, Room No. 2516, Nehru Nagar, Unnati Co-op. Housing Society, S. G. Barve Marg, Kurla East, Mumbai-400 024 have changed my name and shall hereafter be known as SHRI SAMEER MADHUSUDHAN GAONKAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHRI SAMEER MADHUSUDHAN GAVKAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BALACHANDRA S/o LINGO K. LKARNI son of LINGO VIRUPAXA KULKARNI employed as SOLDIER in the Indian Army in Rajasthan (Gujarat State) residing at Gokak, C/o Smt. R. B. Joshi, opp : GRBC office, Laxmi Extension, Gokak, Dist : Belgaum have changed my name and shall hereafter be known as "BALACHANDRA son of Adoptive Father BALAKRISHNA JOSHI"

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BALACHANDRA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAJA RAO S/o, Late LATCHAYYA employed as Sr. Clerk, Under DMS-Ward-VI, Dy. CMM-I in the GSD-KGP-S. E. Rly. Office residing at Rly. Qtr. No. MS/2/14, Unit : 'D', M. S. Building (PO) Nimpura Kharagpur (Dt. Midnapur, Pin : 721304), have changed my name and shall hereafter be known as MUDDADA RAJA RAO.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJA RAO
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RATI KANTA NASKAR S/o, D/o, W/o Late HARADHAN ROY, employed as Senior Auditor in the Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio MAB-I, 1, Council House Street, Kolkata-700 001, residing at Village-Kanirabad Biswas Para More-P.O. Sonarpur, Distt. 24-Parganas (South), Pin. Code-700 150, West Bengal have changed my name and shall hereafter be known as RATI KANTA ROY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RATI KANTA NASKAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as HARSH VARDHAN S/o Dr. KRISHNA KANT SHARMA, student of B Tech. 2nd year Electrical Engineering, residing at Room No. AS-17, Ganga Bhawan, Indian Institute of Technology Roorkee (Uttaranchal) and whose permanent residence is B-24, Gujranwala Apartments, Vikas Puri, New Delhi-18, have changed my name and shall hereafter be known as HARSH VARDHAN SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARSH VARDHAN
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRADEEP KUMAR S/o Shri SUKHBIR SINGH, employed as Sr. Assistant Engineer in the N. T. P. C. Ltd. residing at C-194, N. T. P. C. Township Sect-33, Noida, U.P. have changed my name and shall hereafter be known as PRADEEP KUMAR SINGHAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRADEEP KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAVI PARKASH S/o Shri OM PARKASH, employed with Department of Telecommunication, Sanchar Bhawan, New Delhi and posted as DGM(CDMA-I), MTNL CGO Complex, New Delhi and residing at H. No.- 60, Ground Floor, Ashoka Enclave, Part-I, Sector-34, Faridabad-121003 have changed/added my surname and shall hereafter be known as RAVI PARKASH GANDHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAVI PARKASH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SAHAB SINGH S/o Shri SUBE SINGH MALIK, employed as Junior Warrent Officer in the Indian Air Force residing at SMQ J2/3 Phase I, DRDO Complex, CV Raman Nagar Bangalore-560 093, have changed my name and shall hereafter be known as SAHAB SINGH MALIK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAHAB SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as AJINKYA DAMODAR KAMBLE S/o DAMODAR NANAJI KAMBLE, employed as Laboratory Assistant Grade-II in the Central Water & Power Research Station, Khadakwasla, Pune-411 024, residing at 116/8A Shivadarshan, Pune-411 009, have changed my name and shall hereafter be known as AJAY KAMBALE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJINKYA DAMODAR KAMBLE
[Signature (in existing old name)]

दी दिल्ली स्टॉक एक्सचेन्ज एसोसिएशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: डीएसई हाउस, 3/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002

दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड की उपविधि में संशोधन के तहत नई उपविधि संख्या 224क, 43क और 269घ जोड़कर और वर्तमान उपविधि संख्या 366(क), 62 एवं 63 में संशोधन तथा नई उपविधि संख्या 173(क) एवं 283(क)जोड़कर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने पत्र संख्या क्रमश: एमआरडी/डीएसए/17948/03 दिनांक 22 सितम्बर, 2003 तथा एमआरडी/डीएसए/18463/03 दिनांक 29 सितम्बर, 2003 के माध्यम से विधिवत् अनुमोदित कर दिया है ।

224क संविदा नोट इलेक्ट्रानिक फार्म में जारी करना

ब्रोकर संविदा नोट डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करके इलेक्ट्रानिक फार्म में जारी कर सकतें हैं, बशर्ते ब्रोकरों ने सूचना प्रोद्योगिकी अधि नियम, 2000 के अंतर्गत प्रमाणीकरण प्राधिकारी से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो ।

43क सहायक कम्पनी के माध्यम से लेनदेन करने के लिए सदस्य की पात्रता

केवल स्टाक एक्सचेंज में लेनदेन करने के लिए पात्र सदस्य ही सहायक कम्पनी के माध्यम से लेनदेन करने/लेनदेन करते रहने के लिए पात्र है ।

269(घ)सदस्यों और गैर-सदस्यों के बीच होने वाले विवादों के संबन्ध में पंचाट समितियों/पंचाट परिषदों/ पंचाट पैनलों में स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिन्हें बोर्ड के पूर्वानुमोदन से नामित किया जायेगा ।

366क !. जिन मामलों में लेनदेन करने वाले किसी सदस्य के लिए निपटान में राशि की कमियां निर्धारित आधारभूत न्यूनतम पूंजी (बीएमसी) से अधिक हो, उनमें सदस्य की लेनदेन की सुविधा को वापिस ले लिया जायेगा और सदस्यों को प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली राशि को रोक लिया जायेगा । उन मामलों में भी सदस्य की लेनदेन की सुविधा को वापस ले लिया जायेगा और सदस्यों को प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली राशि को रोक लिया जायेगा जिनमें कमी की राशि आधारभूत न्यूनतम पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक हो और तीन महिने की अवधि के भीतर छह अवसरों पर आधारभूत न्यूनतम पूंजी से कम रही हो ।

कमियों की पूरी राशि की वसूली हो जाने पर सदस्य को निम्नलिखित प्रकार से सकल जोखिम के कम किये गये स्तर पर लेनदेन करने की अनुमति दी जायेगी:

निधियों में संचयी कमी	अनुमत जोखिम सीमा (वर्तमान जोखिम सीमा का प्रतिशत)
आधारभूत न्यूनतम पूंजी के 20 प्रतिशत से आधारभूत न्यूनतम पूंजी के 50 प्रतिशत तक	80 प्रतिशत
आधारभूत न्यूनतम पूंजी के 50 प्रतिशत से आधारभूत न्यूनतम पूंजी के 100 प्रतिशत तक	60 प्रतिशत

सकल जोखिम के इस घटाये गये स्तर को सदस्यों के लिए दस रोलिंग निपटानों के लिए बनाये रखा जायेगा । यदि अगले दस रोलिंग निपटानों के लिए निधियों में संचयी कमी आधारभूत न्यूनतम पूंजी (बीएमसी) के 20 प्रतिशत से कम होगी तो जोखिम सीमाओं को बहाल कर दिया जायेगा । तथापि, यदि कोई सदस्य निधियों में संचयी कमी के समतुल्य राशि अपने समाशोधन खाते में 'निधियों में कमी के लिए संपार्श्विक राशि' के रूप में जमाराशि उपलब्ध कराता है तो कमी को पूरा कर देने पर जोखिम सीमा तुरन्त बहाल की जा सकती है । ऐसी जमाराशि दस रोलिंग निपटानों की अवधि तक एक्सचेंज के पास रखी रहेगी और यह केवल तभी वापस की जायेगी जब अगले दस रोलिंग निपटानों में उस सदस्य के सम्बन्ध में निधि यों में कोई और कमी सूचित न की गयी हो । 'निधियों में कमी के लिए संपार्श्विक राशि' के रूप में जमा रखी गयी ऐसी राशि के लिए कोई जोखिम सम्बन्धी लाभ या किसी ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा ।

2. बकाया राशि पर दंडस्वरूप ब्याज लगाया जायेगा जो 0.07 प्रतिशत प्रतिदिन से कम नही होगा ।

62 मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं

किसी प्रतिभूति या किन्हीं प्रतिभूतियों में सौदे सम्बन्धित विनियम में निध रित मार्जिन सम्बन्धी अपेक्षाओं अथवा ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन होंगे जो निदेशक बोर्ड और/अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उनके अतिरिक्त या उन्हें संशोधित करके या प्रतिस्थापित करके निध रित की जाये ।

63 मार्जिन जमाराशि का फार्म

इन उप-नियमों और विनियमों के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा दी जाने वाली मार्जिन की राशि नकद राशि जमा करके दी जा सकती है या वह निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी बैंक की जमा रसीद के रूप में दी जा सकती है अथवा निदेशक बोर्ड और/अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में उन शर्तों के अध्यधीन की जा सकती है जो निदेशक बोर्ड और/अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर लगायी जाएं । नकद जमा की गयी राशियों पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा और किसी सदस्य द्वारा प्रचलित बाजार मूल्य पर मूल्यित जो प्रतिभूतियां जमा की जायेंगी, वे जिस राशि की जमानत के लिए दी जायेंगी वह उस समय उस मार्जिन राशि से उतने प्रतिशत तक अधि क होगी जिसे निदेशक बोर्ड और/अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये ।

173क: स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेन किये गये डिबेंचरों और बांडों के संबंध में परित्याग मूल्यवृद्धि करना

जिन डिबेंचरों और बांडों का ट्रिपल 'ए' (एएए) और उससे उच्च स्तर का साख श्रेणी निर्धारित हुआ है उनके मामलों में 5 प्रतिशत की परित्याग मूल्यवृद्धि लागू की जायेगी । तथापि, ट्रिपल 'ए' (एएए) साख श्रेणी रहित अन्य डिबेंचरों और बांडों के मामले में विद्यमान 20 प्रतिशत की परित्याग मूल्यवृद्धि लागू की जायेगी जो ईक्विटी शेयरों के मामले में लागू है ।

283क:दावेदार/प्रतिवादी को ऐसे दावे/प्रति दावे को प्रस्तुत करने के समय दावेदार द्वारा प्रस्तुत दावे/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रति दावे के अनुसार एक्सचेंज के पास स्टाम्प पेपर की राशि जमा करनी होगी । इस प्रकार जमा की गयी ऐसी राशि में से एक्सचेंज अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर की खरीद करेगा और यदि कोई अतिरिक्त राशि बचेगी तो उसे संबंधित पार्टियों को वापिस कर दिया जायेगा ।

कृते दी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि०
आर. के. अग्रवाल
सहायक कम्पनी सचिव

स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई)

जबकि सिक्यूरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 की धारा 10 (4) के प्रावधानों के अनुसार किसी उप नियम का बनाया जाना, उसमें आशोधन करना अथवा उसमें संशोधन करना उसके पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होता है।

अब, अतएव, द स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई एतद्द्वारा सेबी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2003 के अपने पत्र सं. एमआरडी/डीएसए/17510/03 के द्वारा यथा अनुमोदित तथा निदेशित एक्सचेंज की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के आशोधित उप नियम 249,250, 262 तथा 274(A) निम्नानुसार प्रकाशित करता है:

(1) सेबी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2003 के अपने पत्र सं. एमआरडी/डीएसए/17510/03 के द्वारा यथा अनुमोदित एक्सचेंज की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के उप नियम 249(i) तथा 249(ii) का आशोधन

मध्यस्थों की नियुक्ति

249 (i) (a) सभी दावे, मतभेद तथा विवाद जो इन उप नियमों तथा विनियमों के तहत मध्यस्थता के लिए भेजे जाने की जरूरत है, वे इन उप नियमों तथा विनियमों में प्रावधान किये गये तरीके से, कार्यपालक निदेशक द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ के पास अथवा तीन मध्यस्थों के पास अथवा गवर्निंग बोर्ड द्वारा गठित मध्यस्थों के पैनल में से पार्टियों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के पास मध्यस्थता के लिए भेजे जायेंगे। कार्यपालक निदेशक एकल मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा।

(b) तीन मध्यस्थों के किसी मध्यस्थता ट्रिब्यूनल में, प्रत्येक पार्टी एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगी और तीसरा मध्यस्थ कार्यपालक निदेशक द्वारा नियुक्त किया जायेगा। ये प्रस्तावित मध्यस्थ गवर्निंग बोर्ड द्वारा गठित मध्यस्थों के पैनल में से होंगे। यदि कोई पार्टी मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहे जाने के दस दिन के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में असफल रहती है तो कार्यपालक निदेशक इन उप नियमों में प्रावधान किये गये तरीके से इस तरह के मध्यस्थों की नियुक्ति करेगा। एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान करने वाले सभी उप नियम तीन मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

(ii) मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के लिए आवेदन करते समय दावेदार उप नियम 262 (b) के अनुसार तैयार किये गये मध्यस्थों के पैनल में से 3 प्रस्तावित मध्यस्थों के नामों का उल्लेख करेगा।

(2) सेबी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2003 के अपने पत्र सं. एमआरडी/डीएसए/17510/03 के द्वारा यथा अनुमोदित एक्सचेंज की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के उप नियम 250 का आशोधन

कार्यपालक निदेशक द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति

250 (1) दावे, मतभेद अथवा विवाद की किसी पार्टी द्वारा इन उप नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मध्यस्थता का न्यूनतम शुल्क अग्रिम रूप में अदा कर दिये जाने के बाद कार्यपालक निदेशक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा यदि:

(a) यदि पार्टियां मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के लिए सहमत न हो पायें।

(b) यदि मध्यस्थ द्वारा पंचाट दिये जाने से पहले मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है, वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से मना कर देता है या लापरवाही बरतता है या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(2) खण्ड (1) के अंतर्गत नियुक्त किया जाने वाला मध्यस्थ उप नियम 262 (B) के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड द्वारा तैयार किये गये मध्यस्थों के पैनल में से होगा।

(3) मध्यस्थ नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि मध्यस्थ स्वतंत्र तथा निष्पक्ष है तथा किसी भी पार्टी में अथवा उसके पास मध्यस्थता के लिए भेजे गये दावे, मतभेद अथवा विवाद में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

(3) सेबी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2003 के अपने पत्र सं. एमआरडी/डीएसए/17510/03 के द्वारा यथा अनुमोदित एक्सचेंज की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के उप नियम 262 का आशोधन

मध्यस्थों के पैनल में से मध्यस्थों की नियुक्ति

262 (a) सदस्यों के बीच की मध्यस्थता के अलावा मध्यस्थता के संबंध में इन उप नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थ, नियम 170(i)(a) के अंतर्गत मध्यस्थों के पैनल में गवर्निंग बोर्ड द्वारा नामित व्यक्तियों में से होगा।

(b) गवर्निंग बोर्ड समय समय पर नियम 170(i) (a) के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार मध्यस्थों के पैनल में ऐसे व्यक्तियों को नामित कर सकता है जिन्हें वह सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में से अथवा विधि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, मध्यस्थता, सिक्यूरिटी बाजार अथवा स्टॉक एक्सचेंज के लेनदेनों के क्षेत्र में जानकारी अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से उपयुक्त समझे। गवर्निंग बोर्ड अपने विवेक पर तथा बिना कोई कारण बताये मध्यस्थों के पैनल में से किसी व्यक्ति को हटा भी सकता है। इस तरह के पैनल प्रत्येक वर्ष तैयार किये जायेंगे।

(c) मध्यस्थों के पैनल में नामित किये गये गैर सदस्य तब तक मध्यस्थों के पैनल में बने रहेंगे जब तक उनके स्थान पर नये गैर सदस्य नहीं आ जाते अथवा वे स्वैच्छिक रूप से त्याग पत्र नहीं दे देते, इनमें से जो भी पहले हो। त्याग पत्र देने की स्थिति में रिक्त स्थान को पैनल पर अन्य पात्र गैर सदस्य को नियुक्त करके भरा जायेगा।

4) सेबी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2003 के अपने पत्र सं. एमआरडी/डीएसए/17510/03 के द्वारा यथा अनुमोदित एक्सचेंज की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के उप नियम 274 A का आशोधन

मध्यस्थता पंचाट के खिलाफ अपील

274A अपील बेंच

1. एक्सचेंज का कार्यपालक निदेशक एक या अधिक अपील बेंचें गठित करेगा और प्रत्येक बेंच में उप नियम 262 (b) के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड द्वारा गठित मध्यस्थों के पैनल में से पांच पांच मध्यस्थ होंगे।

2. मध्यस्थों में से कोई भी, जिसने मामले को सुना हो या पंचाट दिया हो, उस पंचाट के खिलाफ अपील की सुनवायी में अपील बेंच का सदस्य नहीं होगा।

3. किसी पंचाट से असंतुष्ट पार्टी इस तरह का पंचाट मिलने के पंद्रह दिन के भीतर इस तरह के पंचाट के खिलाफ अपील बेंच में अपील कर सकती है;

4. अपील करने वाली पार्टी अपील दर्ज करने के लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली आवश्यक फीस तथा प्रभार जमा करेगी।

5. मध्यस्थता सचिव निचली बेंच के पंचाट के खिलाफ कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक अपील कर्ता पहले एक्सचेंज में पंचाट की राशि जमा नहीं करा देता। यदि पंचाट की राशि सदस्य द्वारा जमा करा दी जाती है और उसे उप नियम 259(A) में यथा निर्धारित एक अलग खाते में जमा लिख दिया जाता है तो उक्त उप नियम में किये गये प्रावधान के अनुसार नामे को उस सदस्य के खाते में रिवर्स कर दिया जायेगा।

6. राशि जमा करने वाली पार्टी के बारे में यह मान लिया जायेगा कि वह इस बात से सहमत है कि अपील बेंच के निर्णय की तारीख से तीन महीने की समाप्ति पर इस तरह की जमा की गयी राशि एक्सचेंज द्वारा अपील में किये गये निर्णय की शर्तों के अनुसरण में दूसरी पार्टी को सौंप दी जायेगी, उस स्थिति को छोड़ कर जब पंचाट के धारक को इस तरह की राशि का भुगतान न्यायालय के आदेश द्वारा रोक न दिया गया हो।

7. जब तक एक्सचेंज यह प्रमाणित न कर दे कि अपेक्षित राशि जमा कर दी गयी है, अपील बेंच अपील पर सुनवायी की कार्रवाही नहीं करेगी।

बशर्ते, अलबत्ता, जब ऊपर दिये गये उप नियम 259(A) तथा 274A(5) के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्य की राशि एक्सचेंज द्वारा नामे लिख दी जाती है, तो एक्सचेंज न तो इस तरह की नामे राशि की वजह से किसी
व्यक्ति के प्रति उन्हें होने वाली किसी संभावित हानि के लिए उत्तरदायी होगा और न ही किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति को कोई ब्याज अदा करने के लिए बाध्य होगा।

अपील की सुनवायी और निर्णय

सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद मध्यस्थता सचिव प्रतिवादी को नोटिस जारी करेगा। अपील के मेमो की एक प्रति नोटिस के साथ लगायी जायेगी और प्रतिवादी से कहा जायेगा कि वह उसमें दी गयी तारीख को अपील बेंच के सामने उपस्थित हो। उस दिन अपील सचिव सारे कागजात अपील बेंच के समक्ष रखेगा और अपील बेंच उसी दिन ही या किसी और स्थगित दिन पार्टियों को सुनेगी और पंचाट के लिए अपने कारण देते हुए लिखित रूप में पंचाट देगी। उनके द्वारा दिया गया पंचाट अंतिम माना जायेगा और वह सभी पार्टियों पर बाध्यकर होगा। अपील बेंच का अधिनिर्णय बहुमत अधिनिर्णय होगा और पंचाट बहुमत निर्णय के अनुसार होगा।

8. पंचाट पर हस्ताक्षर करना

अपील बेंच द्वारा दिया गया पंचाट पर अपील बेंच के सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

9. पंचाट प्रकाशित करना

पंचाट दिये जाने के बाद पंचाट की एक हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पार्टी को सौंपी जायेगी।

10. अपील पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाये

अपील पर अपील बेंच द्वारा यथाशीघ्र तथा जहां तक हो सके, अपील फाइल किये जाने के एक माह के भीतर ही निर्णय लिया जायेगा।

11. मध्यस्थता से संबंधित प्रावधानों को लागू करना

इस अध्याय के अन्य सभी उप नियम, जहां तक वे लागू होते हैं, अपील बेंच के सामने कार्यवाहियों पर तथा अपील बेंच के पंचाट पर आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे। अलबत्ता, अपील बेंच के पंचाट से कोई अपील नहीं होगी।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आशोधनों के संबंध में कोई टिप्पणी करना चाहता है तो वह इस आशय का एक अभ्यावेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के एक माह के भीतर निम्नलिखित पते पर करे:

सचिव
द स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई
25वीं मंजिल
फिरोज जीजीभाय टावर
दलाल स्ट्रीट
मुंबई 400001

कृते स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई

वी जी भगत
सचिव

25 सितम्बर 2003

उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, 14/113 सिविल लाइन्स, कानपुर-208001 के बाई-लॉज में संशोधन (उत्तर प्रदेश के राजपत्र एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 27.09.2003 को सम्यक रूप से पूर्व प्रकाशित)

कांट्रेक्ट्स की तुलना, तुलना करने का कर्त्तव्य, तुलना करने में असफलता एवं क्रास डिलीवरिज से सम्बन्धित बाई-लॉज में संशोधन जो कि प्रशासक द्वारा दिनांक 07.08.2003 को एवं सेबी द्वारा पत्र संख्या एम.आर.डी./डी.एस.ए./यू.पी.एस.ई./15461/03 दिनांकित 14.08.2003 द्वारा अनुमोदन किया गया।

एक्सचेंज के वर्तमान बाई-लॉज से निम्नलिखित बाई-लॉज हटाये जाते हैं :--

बाई-लॉ 74--कम्पेरिजन ऑफ कांट्रेक्ट्स

बाई-लॉ 75--ड्यूटी टू कम्पेअर

बाई-लॉ 78--फेल्यर टू कम्पेअर

बाई-लॉ 81--क्रास डिलीवरिज

वास्ते दि उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड

के. सी. पाण्डेय
कार्यकारी निदेशक

बै ला. एक्सचेज के बै. ला. नं. 363 के सबंध मे जिस को अमेडँ (सुधार) किया गया है नीचे दिये गये शब्दो में बै. लाये नं. 363 (बी) के अनुसार ।

363 (बी) मार्ग दर्शन (गैडलैन्स) स्वच्छ(fair) अभ्यासों के लिए/नियम व्यवहार के सबंधित जनता के (नुमाइदें) और सेबी के नियुक्त निरदेशक(डैरेक्टर) ।

बैलास् अथवा रेग्युलेषन (शासन) किसी भी अशं पर मुकाबला न करते हुए ।

जनता का नुमइंदां सेबी के नियुक्त डैरंक्टर नीचे दिये हुये मार्ग दर्शण को अपना ना होगा ।

(A) **बैटके (सभाएं) और के सबंधित मिनटस्**

a) उन्हे निर्देशक को सबही बोर्ड के सभाओ को उपस्थित होना पडेगा और अगर कृमता वह तीन (3) मीटीगों (बैटकों) मे अनउपस्थित होते तो उन्हे कार्यालय से मुक्त होना पडेगा । अथवा एक साल मे 75% सब ही बोर्ड के बैटकों से अगर अनउपस्थित होने पर भी उन्हे कार्यालय से मुक्त होना पडेगा ।

b) अगर कोई विशय के चर्चा जिसमे किसि प्रकार का कलह (conflict) का स्वार्थ हो या अगर यह सामने आता हो तो जिसमे धन सम्बन्धी हो या न हो, और ऐसे परिस्थिति मे इसे बताया जायेगा और सम्बधित मिनटो मे इसे दर्ज किया जाता है ।

c) वे अजड़ां के दस्तावेजों का प्रचलन को सभा के समय मे उत्तेजित नही करना होगा, परिस्थिति अगर यह चाहता है तो ।

d) वे आपस मे कमसे कम एक बार छः माह के समय मे अलग मिलते रहना होगा, अगर यह जरूरत अवश्य पडेगा तो क्लिष्ट विशयो पर अपने विचार मे अदल-बदल करने के लिये ।

e) सभा के मिनटों पर अपना टीके देने और इसे अन्तिम मिनटो में इकठ्ठा करने का निश्चित करना होगा ।

f) पहले के सभा के सम्बंधित मिनटो जो आगे आने वाली सभा मे अनुमोदन के लिये पेश किया जायेगा उसे इन्हे दृढ करना होगा ।

g) अगली सभा का निश्चित तारीक को हर एक बोर्ड सभा मे अपने साथ के अन्य सदस्यो जो शासन बौर्ड के होते है उनसे सलाह करते हुए निर्धारित करना होगा ।

h) इन्हे यह भी प्रयत्न करना होगा जिस परिस्थिती मे पूरे अजेंडे के विषयों पर किसि सभा मे कोई सदस्य के अनउपस्थित होने पर यह सभा अगर पूरा न हुई, जैसे सदंर्भ मे अगली सभा 15 दिन समय के भीतर रह गये सो मुध्दे के विषयों को आमोदन करने के लिये सभा का आयोजन करना होता होगा ।

(B) **व्यूह कार्य प्रणालि (Strategic Planning)**

a) इन्हे व्यूह रचना के कार्यरूप लाने के प्रयत्न मे भाग लेना होगा । इसिलिये यह बोर्ड स्थाई सभा मे व्यूह के अदल-बदल और सम्बाधित इनके योगधान प्रोएक्टिव निर्णय मे यह भाग लेंगे।

b) उन्हे उनका अनुभव और उनका निपुणता का लाभ के अदल-बदल मे करना होगा और जब बोर्ड कोई तरह के विवाद मे अटका या फसा हो इस संदर्भ मे इन्हे व्यूह रचना कार्यक्रम के रूप रेखा लाने आवश्यक मदद करना होगा ।

c) शासकिय समर्पण (Regulatory complainces)
अपने प्रयत्न में यह निश्चित करना होगा के अदल बदल में सेबि नियम के संपूर्ण विधानों का नियम पालन करना होगा, सैक्युरिटियों का व्यवहारों के शासन नियम(Regulation Act) और उसके सम्बंधित कानून शासन जो भी जारी किया हो व्यवसायिक पत्रों और सरकार से समय समय पर प्राप्त हुई मार्ग सूत्र तथा सेबि से प्राप्त हुआ व्यवसायिक पत्र वगैरा नियमो का पालन करना होगा ।

d) (रेग्युलेटरी) शासकीय व्यवस्था मे कोई तरह के भंग न हुये जैस, हर स्थाई (level) पर यह समर्पण का प्रयत्न रकना चाहिए ।

e) एक्सचेंज के अदल बदल मे प्रशंसनीय कदम लेना होगा जिसमे सेबि के दिये हुए समय का पालन करते हुये सही ढंग का क्रम लेने मे निश्चित रूप से प्रयत्न करना होगा ।

f) शासक बोर्ड के सभा मे कोई प्रकार का निर्णय नही लेना होगा, जो धन लगाने वालो पर बुरि तरह मे असर होता हो और ऐसे विषय को तुरन्त सेबि को मालुम (रिपोर्ट) करना होगा ।

g) यह प्रयत्न करना होगा के (Arbitral award) पंचायत का निर्णय को सही समय के अवधि मे बै लास के अनुसार कानून या रेग्युलेषन्स् जो अदल बदल के हो और किसी हाल में, यह अवार्ड को अतिम सभा होने के 15दिन के अंदर इसे डेलिवरि से मुक्त करना चाहिये ।

D) **सामान्य जिम्मेवारि**

a) समय का पालन करना और सभा के (प्रोसीडिग्स्) चलने के कार्य मे बहुत ही चुस्ति के साथ भाग लेना होगा ।

b) धन लगाने वालों के कष्ट को समझते हुए उसे सुलझाने के प्राधान्य मे विषेश ध्यान देते हुए, सही व्यापार व्यवसाय को बडावा करते हुए सेक्युरिटीस के उद्योग को सही ढंग से बडावा मिले जैसा काम करते हुये इस के समर्थ चालक होना होगा ।

c) हर सही अवकाश को उसके मेदा शक्ति को बढाते हुये, उपयोग में लेते हुये, यह प्रयत्न करना होगा जिस से अदल बदल के मुद्दो को व्यावसायक कुषलता के साथ, स्पृष्ट रूप से निस्पक्षपात के साथ निपुणता के साथ और जिसके विष्लेषन वस्तुओं की प्रकाषित करते हुये इसका पालन करना होगा।

d) आवश्यक वस्तुओ की प्रकाषित समर्पण/भूमि आदि सम्पत्ति का विषय प्रगट करना/ सेक्युरिटिस् के व्यापार को समय समय पर एक्सचेज के माँग के अनुसार और उनके कानून के अनुसार या संघ (असोसियेशन) के नियोमों (Articles) के अनुसार इसे समर्पण करना होगा ।

e) विधिनियम के मांग के अनुसार गुप्त विषयों को रक्षा करते हुये इसे किसी को न बताते हुये उनके कर्तव्य का पालन में कोई ऐसा समाचार है तो वह प्रकट करें । आगे ऐस सवार्थ लाभ के लिये इसे उपयोग में न लेना होगा।

f) अति उत्तम श्रेणि के व्यक्तिगत ईमानदारी सत्यता को कायम रखते हुये, जनता के विश्वास को जीवित रखते हुये , अपना कर्तव्य को सही ढंग से चलाते हुये किसी प्रकार के बदनामि से बहुत दूर रहते हुये अपनी कर्तव्यों को निभाना होगा ।

g) उसके वयवसाय के कर्तव्यों के व्यवहारों से किसी से कलह उत्पन्न होता हो तो इस आचरण से मुक्त रहना चाहिए।

h) उनके कर्तव्यों को अकेले और उद्येश पूर्वक निभाये और ऐसे काम जो अपने को क्षीण करता या करे जैसा लगता हो या जो काम करने से अपने स्वतंत्रता और उद्येश भंग करता हो उससे मुक्त रहना चाहिए ।

i) उनके कर्तव्यो को इस तरह चलायें जिस में निश्चित भाव और रचनात्मक समर्थन रखते हुये खूलि रूप से प्रसार करते हुये सृष्टि , समर्पण और सौहार्द भाव पूर्णता के साथ निभाना चाहिए ।

j) अपने व्यक्तिगत नीति पर कोई प्रकार का कलंक लाये जैसा कार्य न करें, अप्रमाणिकता, धोखे-बाजी, कपटता या कोई बात को गलत बताना या कोई अन्य क्रिया बिना कोई पक्षपात एक्सचेंज के परिपालन में यह बाते जरूरि है ।

सेबि पत्र अंक सेबि/एस एम डि/ एस इ.ए डि/सर्क्युलर-29 -07-03 तारीख 3/07/03 के अनुसार सुधार किया हुआ है।

बै ला इके 280 और 315 रहेगा और है यहां सामनेवालि क्लॉज को मिलाते हुए अंक 315L बै ला के बाद बै-ला के अंक 280 A और 315 IA

280 A और 315 IA

निर्णयता का और रिकार्ड संग्रह का पालन पोषण :-

बै-लास या शासन के विषयों पर मूकाबला न करते हुए ।

एक्सचेंज सभी निर्णयों का रिकार्ड को पालन पोषण करते हुये उसकी रक्षा करते हुए सदस्य-सदस्य के बीव मे या सदस्य और सदस्य और गैर सदस्य के बिच मे आगे दिये हुये विवरण के अनुसार करना होगा ।

1) मूल निर्णय फैसला संम्बधित विषय के लिये स्वीकृत रसीदो के साथ इसे हमेशा के लिए स्थिरता के साथ रक्षा करते हुये रखना होगा ।
2) अन्य रिकार्डस जो निर्णय के है, उसे 5वर्ष समय के लिये अर्थात अवार्ड निकलि हुई तारीख से रक्षा करना होगा अगर अपील अवार्ड को हठाकर रखने के लिये वह तारीख के अदर न होति हो तो ।
3) अगर कोई अपील फैल हो जाती तो, उस रिकार्ड को रक्षा कर सकते है 5 वर्ष तक अर्थात कोर्ट के अंतिम व्यवस्थापन तक ।
4) एक्सचेंज एक्सिक्युटिव डायरेक्टर का पूर्व लिखित आज्ञा के आधार पर यह रिकार्ड का नाष किया जायेगा।
5) एक्सचेंज एक रेजिस्टर के पोषण रकता है । जिसमें संक्षिप्त रूप विवरण दर्ज होता है । जिस रिकॉर्ड को नाश किया गया हो जिस का तारीख और, उसे किस प्रकार नाश किया गया साथ ही साथ उसका प्रमाण पत्र उसमें दर्ज किया जाता है ।

से-बि पत्र अंक सेबि / एस एम डि \एस इ / 13/2003/10/04 तारीख 10/04/2003 के अनुसार इसे सुधार किया गया है ।

बै ला नं अंक 25 जो एक्सचेंज है ओर रहेगा । यह नीचे दिये जैसा जो रहेगा और है यहां आगे दिये शब्दो में बै ला नं अंक 25ए के अनुसार सुधार किया गया है ।

25 ए एकमेव ग्राहक नियम संग्रह जो के एक्सचेंजो से किया हुआ यह म्यूचवल फडों और एफ आई ओं के लिये ।

बै लास मै दिया गया कोई भी अंश या रेग्युलेषन्स को न मुकाबला करते हुये एक्सचेंज संस्था एकमेव नियम संग्रह और म्युचवल फंड और हर एक स्कीम प्रणालि परस्पर धनराशी म्युचवल फंड के लिये विदेषीय संस्थाओं के धन लगाने वालो के लिये एफ आई आई एस और उनके संबधित ऊपर हिसाब के लिये उत्पन्न करता है ।

सेबी के पत्र अंक नं : सेबि , एस, एम, डी, / 11 /2003 /31 /03 तारीख 31 /2003 के अनुसार सुधार किया गया है ।

बै.ला अंक: 418 जो बै-लाज एक्सचेंज के जो रहेगा और है यहां आगे दिये गये शब्दो मे मिलाया गया है ।

418 मासिक विकास विवरण (एम.डि.आर) एक्सचेंज से सहायक प्रसरणशीलता के लिये

बै.लाज. के कोई भी अंश पर या रेग्युलेशन्स पर न मुकाबला करते हुये एक्सचेंज मासिक विकास निवेदन पेश करेगा इसके सहायता के लिये सेबि के आदेश के अनुसार दिया हुआ नमूने के फॉर्मेट के आधार पर मासिक निवेधन उस मासका सबसिडियरि के लिये सेबि को आज्ञानुसार पेश करेगा यह महिने के अन्त से सात दिन पहले पेश करना उचित रहेगा ।

एक्सचेज एम.डि.आर. को पेश करेगा सबसिडियरि के लिये नियमित मॉर्मेट फॉर्म जो मार्च 2003 का होता है ।

सेबि का पत्र अंक सेबि के पत्र नं सेबि/एस एम डि/एस इ/12/2003/03/04 तारीक

बै.ला. अंक : 221 जो एक्सचेज के बै.लाज. रहेगा और है यहां सुधारा गया है । आगे दिया गया शब्दो मे मिलाया (इनकॉर्पोरेटिंग) बै. ला. नं. 221 जैसा ।

221 C एलेक्ट्रानिक् के फॉर्म मे कान्ट्राक्ट नोटस् को जारि करना

" बै. लाज के कोई अंश पर या रेग्युलेशन्स् पर न मुकाबला न करते हुए ।

दलालो के माध्यम से कान्ट्रेक्ट नोटस. के जारि एलेक्ट्रनिक फॉर्म मे अंको के हस्थाक्षरो के द्वारा सत्यता का स्थापित होता जिसे दलाल प्राप्त करते है डिजिटेल हस्थाक्षर के प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्र जारिकर्ता जो ऐ.टि कानून 2000"

सेबि पत्र अंक : सेबि/एस.एम.डि/एस.ई/15/2003/29/04ए तारीक 29.04.2003 अनुसार सुधार किया गया ।

बै.ला अंकः 419 जो एक्सचेज के रहेगा और है, यहा आगे दिया हुआ शब्दो मे मिलाया गया है। 419: सबसिडियरि संस्था के द्वारा व्यापार करने के लिये एक उप-दलाल का योग्यता

"काई बै.लाज के अंश पर या रेग्युलेषन्स् को मुकाबला न करते हये ।

केवल वह सदस्यो जो व्यापार स्टाक एक्सचेंज पर करने योग्यता रखते है वही यौग्य है व्यापार को । वही सबसिडियार कम्पनि/संस्था के द्वारा व्यापार को जारि रख सकते हो । "

सेबि पत्र अंक : सेबि/एस.एम.डि/एस.ई/20/2003/02/06 तरीक 02/06/2003 के अनुसार सुधारा गया है ।

बै.लाज अंक : 38 जो एक्सचेंज (be and is) रहेगा और है जो बै.लाज एक्सचेंज का है उसे यहा जैसा मिला लिया गया है ।

38 A लिस्टिंग फीस्

"बै.लाज के अन्दर के कोई अशं या रेग्युलेषन्स पर मुकाबला न करते हुये ।

एक्सचेंज को यह स्वतंत्र है के वह जो उचित समझे वह लिस्टिंग फीज सेबि के कोई अनुमोदन के बिना लगा समता है ।

सेबि पत्र अंक : सेबि/एस.एम.डि/एस.ई/25/2003/19/06 तसारक 19/06/2003 के अनुसार सुधारा गया है ।

बै.ला. अंकः 248 जो एक्सचेंज के बै.लाज (be and is) रहेगा और है जिसे यंहा नीचे दिये हुये शब्दो मे बै.ला अंक 248A रूप से मिलाते हुये सुधार किया गया है ।

248A : निर्णय का समितिया और निर्णय के तालिका (पानेल)

"बै.लाज या रेग्युलेषन्स् के अंश पर मुकाबला न करते हुये ।

निर्णय समितीयाँ/निर्णय परिषद/निर्णय(पानेल) तालिका मे दुसरे व्यक्तिया सदस्यो से हठकर जो स्टाक एक्सचेंज के जिन्हे बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्रस्तापित किया जायेगा ।

सेबि पत्र अंक : सेबि/एस.एम.डि/एस.ई सर्क्युलर 19/2003/02/06 तरीक

बै.ला. अकः 62 जो के एक्सचेंज के बै.लाज है जो रहेगा और है यह आगे दिये गये शब्दों मे मिलाते हुए सुधार किया गया है । बै.ला. अंक 62 B के तरह ।

62B मूलधन और मार्जिन का संरचना "बै.लाज और रेग्युलेषन्स के कोई भी अंश पर मुकाबला न करते हुये ।

मूलध्न की जरूरत :

1) नकद और गैर नकद का संघटक जो अतिरिक्त मूलधन और मार्जिन का होता।

1.1 कनिष्ट नकद संघटक जो अतिरिक्त अनुपालित मूलधन और मार्जिनो को अब रहने वाला स्थाई से बड़ाकर वह 30% से 50% किया जायेगा ।

1.2 नकद सघटक जो अतिरिक्त मूलधन और मार्जिनो को 50% से बडाया जायेगा इस प्रकार से जो सदस्य दलालो जो एक्सचेजो के होते है उन से अनुपालित हो सके ।

1.3 व्यापार स्थल से व्यापार स्थल का मार्जिन जारि रहता जो केवल एक्सचेजो से जमा किया जाता है । यइ केवल नकद राशि के रूप मे रहेगा , बैंक का जमानत और एक डिआर. जो पहले दिया हआ आदेश के बराबर यह सेबि के वृत्त पत्र अंक एस.एम.डि आर. पि./पालिसि सर्क्युलर 19/99 तारीक जुलै 02, 1999 के अनुसार ।

1.4 नकद संघटक नकद या नकद के समतुल्यो मे रह सकता । नकद समतुल्यो यह आगे दिये जैसे रहेगे ।

1.5 नकद समतुल्य

a) नकद समतुल्य मे अन्तर्गत होता है एम.डि आर., बैंक के जमानते (जो नीचे उल्लेखित किया हुआ है, सरकार के सेक्युरिटीस् और एकक(units) जो के योजनाओ के जो (liquid mutual funds) परस्पर परिसमापन मूलधन अथवा सरकार का जमानतो के परस्पर मूलधन हो । (जो भी नाम से इसे कहे जिस से सरकारि के जमानत मे धन लगाना होता)

b) सरकार का सेक्युरिटीस को हेर कट जो है वह 10% होगा।

c) स्कीम के युनिटस् के लिये हेरकट जो लिक्विड म्यूचुवल फंड या सरकारि सेक्युरिटीस् परस्पर मूलधन (जो भी नाम से कहे जिस से सरकारि सेक्युरिटीस. मे धन लगाना हो) यह कमसे कम अवशिष्ट समग्र सम्पत्ति का मूल्य का 19% होता है(नेट अस्सेट वाल्यु)

d) बैंक का जमानतो को केवल नकद समतुल्य माना जायेगा अगर जमानते बैंको से दिया हो, जिन का अवशिष्ट मूल्य (net worth) 500 करोड रूपयों से भी अधिक हो ।

i) (एक्सचेंजो) विनिमय सीमाएं प्रगट करेगा यह रूपयोमे या प्रतिशत जो (टिजीएफ)व्यापार जमानत मूलधन/(एसजिएफ) (Settlement Granrantee funds) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निपटान जमानत मूलधन जिसे एक ही बैंक को प्रगट करें और किसी भी हालत मे टिजीएफ/एसजीएफ का प्रगट करना कोई एक बैं को, जुम्ला परिसमापन सम्पत्ति का 15% से अधिक न हो, जो जुम्ला परिसमापन सम्पत्तिया एक भाग टिजीएफ/एसजीएफ जो (एक्सचेंज) विनियम का होता है ।

ii) प्रगट करने का जो ऊपर कहा गया है जिस के अन्तर्गत बैंक से जो जमानते दी गई है वह खुद के लिये या किसी और के लिये भी ऋण या ईक्विटी(equity) सेक्युरिटीस् जो के बैंक का हो जिस में सदस्यों ने निक्षिप्त (deposit) किया हो अतिरिक्त मूलधन या मार्जिनों के लिये ।

2) ELIGIBLE SECURITY & ITS VALUATION योग्य सेक्युरिटीस और इनके मूल्याकंन

2.1 जब सेक्शन 1 मे उल्लेख किया है के नकद और गैर नकद संघटक यह अतिरिक्त मूलधन और मार्जिन और (क्लाज) खण्ड 15जो वर्णन करता है के सेक्युरिटीस जिसमे यूनिट जिस मे चंद तरह के परस्पर मूलधन के योजनाए जिन को नकद समतुल्य जैसा माना जा सके, यह सेक्शन उल्लेख करता है सेक्युरिटीस् के प्रकार जिन मे अन्तर्गत किया हुआ है ईक्विटि शेरों म्युचुवल फंड (परस्पर मूलधन) का युनिटे योग्य सेक्युरिटीस जैसा माना जाता और हेरकट इस उद्धेश के लिये जो गैर नकद संघंटन आधार कनिष्ट मूलधन, अतिरिक्त मूलधन और

अतिरिक्त मूलधन

a) इक्विटि के शेरों को वर्गीकरर्ण मे समूह (ग्रप-I) मे वर्गीकर्ण स्टाक एक्सचेंज मे उनके पारमीटर्स (नियमावलि के अनुसार जो परिवर्तन और (liquidity) नकदीकरण सेबि के वृत्तपत्र अंक एस.एम.डि/पालिसि/सक्युलर-9/2003 के अनुसार तारीक 11 मार्च 2003 यह गैर-नकद सघंटन के लिये सेक्युरिटि के जैसा योग्य रहता जो के अतिरिक्त मूलधन और मार्जिन हेरकट के समान V & R को सम्बन्धित इक्विटी शेरों के आधीन होते है।

b) सवही परस्पर मूलधनो का युनिटे भी योग्य सेक्युरिटि के होती है । गैर नकद सघंटन के उद्देश्य से अतिरिक्त मूलधन और मार्जिन के एक हेरकट समतुल्य V & R को जो यूनिटे NAV के साथ कोई प्रस्थान वज़न (भार)जिसे परस्पर मूलधन लगाति है ।

c) a & b ऊपरिअर्श का मूल्यांकन रोजवारि के आधार पर किया जाता है ।

मूल कनिष्ट मूलधन

d) योग्य शेर जो सेक्यरिटीस के भाग जो मूलकनिष्ट मूलधन का होता है यह केवल वह जिन्हे समूह- । जैसा वर्गीकरण यह शब्दो मे जो पारामीटर्स परिवर्तन और नकदीकरण सेबि के करार के अनुसार सेबि के सर्क्युलर अंक ढस एम डि/ पालिसि / सर्क्युलर-9/2003 तारिक 11 मार्च 2003 एक नियमित हेरकट 15% के आधार पर होता। जैसा भा हो छोटे स्टाकएक्सचेजं भी शरों के स्वीकृतति करता है जो समूह-। जो बीएसई या एनएसई का हो यहां उद्येश्य मूल कविष्ट मूलधन का है। सप्ताह मे एक बार इन शेरो का मूल्याकन किया जाता है। इस तरह योग्य सेक्युरिटीस का नमूना जो मूल कनिष्ट मूलधन जिन्हे सेबि सर्क्युलर अंक एस एम डी आर पि/ पालिसि/ सर्क्युलर-19/1999 तारीक 2 जुलाई 1999 इसे पुनराव्त किया गया है ।

सेबि पत्र अंक : सेबि/एस.एम.डि/एस.ई सर्क्युलर 22/2003/11/06 तरीक 11/06/2003 के अनुसार सुधारा गया है ।

•

बै.ला. अंक : 178 जो एक्सचेंज का बै लाज होता है जो रहेगा और है (be and are) यहा सुधार किया है नीचे दिये गये शब्दो मे बै.लास अंक 178(d) जैसे 178(d) डिबेन्चरें और बाँडो के सबन्धित क्लोस और मार्क अप स्टाक एक्सचेंज पर व्यापार होगा ।

"कोई बै.लाज या रेग्युलेषन्स् अंश पर मुकाबला न करते हुए । मार्क अप क्लोज औट के लिये 20% कार्यालय का क्लोजिंग दर से ज्यादा होगा। यह मार्कअप इक्विटि के क्लोज औट के लागू होने योग्य था।

क्लोज औट मार्कअप 5% का लागू होने योग्य रहेगा डिबेन्चरों और बाँन्डो के सबन्ध मे जो जिसे अभिहस्तांकित किये हुये एक ऋण योग्यता - निर्धारण ट्रिपल A और उस से अधिक तो भी अन्य डिबेन्चरो और बाँडो ट्रिपल A ऋण निर्धारण, के रहित प्रस्तुत क्लोज औट मार्कअप 20% का प्रयोज्य जैसा के इक्विटिस के मामले योग्य था ।

सेबि पत्र अंक : सेबि/एस.एम.डि/एस.ई सर्क्युलर 26/2003/25/06 तरीक 25/06/2003 के अनुसार सुधार किया गया है ।

62A मूल कनिष्ट मूलधन

बै.लाज या रेग्युलेषन्स् के अंश पर मुकाबला न करते हए ।

एक्सचेंजो जिनके औसत प्रतिदिन का कुल बिक्री गत (3) मास से इस सर्क्युलर के जारि हुए जब

तारीक के बाद भी अनुरक्षण करने योग्य रहता जिस का बी.एम.सी. एक लाख रूपये होगा।

रू. एक लाख से ऊँचा अधिक बी.एम.सी. की वापसी रीफंड) सदस्यों को दी जाती यह नीचे दी गई शर्तो पर निर्भर होगा।

अ. सदस्य स्टाक एक्सचेंज पर गत 12 मास से असक्रिय रहता अर्थात वह स्टाक एक्सचेंज मे 12 मास के समय मे कोई लेनदेन नही किया हो ।

ब. सदस्य के ऊपर काई पूजि लगाने वालो का शिकायते सदस्य के विरूद्ध न हो ।

क. सदस्य के किलाफ कोई अनिर्णीत आरब्रिटेशन (पंचायति) मामले/केसों नहो ।

ड एक्सचेंज रोक लेगा/घटा लेगा/विकलन करेगा जा बी.एम.सी वापसी करने की राशी, से शिकायतों की संख्या धन लगाने वालो का मांग जो सदस्यो के विरूद्य मे और कोई ऋण देय जो रवायुक्त है और एक्सचेंज को आकस्मिक हो । सेबि का उठना अनिर्णीत निर्णय/फैसलों के स्थितियो मे, अपील किया हुआ निर्णय के अवाडों मे, प्रशासनिक खर्चे सबि के कुल बिक्री का शुल्क गगैरा ।

इ. एक्सचेंज यह निश्चित करता है के सदस्य सेबि का कुल बिक्री शुल्क और वह "कोई अक्षेप नही प्रमाणपत्र" (एन.ओ.सी.) जो सेबि से प्रप्त होता इस सबंन्ध मे । तो भी अगर औसत प्रतिदिन का कुल बिक्री जो एक्सचेंज का होता है वह आदेशित स्थायि, अर्थात एक करोड रूपये से अधीक एक मास के अवधि यह सर्क्युलर जारि के तारीक के कभी भी, एक्सचेंज बी.एम.सी. के मांग को बड़ा सकति जो सदस्यों का है, यह वापिस निदेशित स्थायि/लेवल को जायेगा सेबि के सर्क्युलर अंक एस.एम.डि।एस.ई.डि आर. सी.जी./270/96 तारीक जनवरि 19, 1996 और सदस्यो से इस सम्बधं मे लिखित वचन/उपक्रम प्राप्त करेगा।

सेबि पत्र अंक : सेबि/एस.एम.डि/एस.ई सर्क्युलर -24/2003/18/06 तारीक 18/06/2003 के अनुसार सुधारा गया है ।

बै.ला. अंकः 390 एक्सचेंज के बैलाज के रहेगे और है (be and is) यहा आगे दिये गये शब्दो को मिलाते हुए बै.ला अंक 390B जैसे सुधारा गया है।

390B व्यापार गॉरंटी फंड(मूलधन)/टी.जी.एफ.

निपटान गॉरंटी मूलधन (एस.जी.एफ.) कम किया हुआ प्रगट जो दस रोलिंग निपटान के लिये होगा।

"बै.लाज. मे रहो या रेग्युलेषन्स् के कोई अंश पर मुकाबला न करते हुए ।

1. चंद मामलों मे कोई निपटान मे धन की कमि कोई व्यापार का सदस्य को मूल कनिष्ट मूलधन आदेश्यित से भी अधीक हो, सदस्यके व्यापार सुविधा को वापिस ले लेगी और सदस्य जो बाकि देने वाली सेक्युरिटीस् पे और को भी रोक लेगी ।

सदस्य के व्यापार सुविधा को छीनली जायगी और सेक्युरिटीस् का पे और जो सदस्य को देनि है वह रोक दी जायेगी । और कुछ मामले मे जंहा धन राशी की कमी 20% से भी अधीक जो बी.एम.सी. का होता और यह बी.एम.सी. से कम छः अवसर पर 3 मास के समय में ।

सदस्य को यह व्यापार करने का आज्ञा कंम किया हुआ स्थूल को प्रगट करेगा जब सदस्य सम्पूर्ण कमियों कों प्राप्त करने के प्रश्चात

संचंयी निधियों की कमि	प्रगट करने का ऋण सीमाओं का स्वीकृत (प्रचलित प्रगट करने का ऋण का प्रतिशत)
बी.एम.सी का 20% सेबी ए.सी का 50%	80%
बी.एम.सी का 50% सेबी ए.सी का 100%	60%

यह कम किया गया कुल प्रगट करने का क्रय सिमा को सदस्य के लिये अनुरक्षण दस रोलिंग बन्दोबस्तो के लिये होगा। अगर यह संचयी निधियां अगला दस रोलिंग बन्दोबस्तो के कमिया बी.एम.सी से 20% से कम हो, प्रगट करने का क्रय सीमा को पुतः स्थापन किया जाएगा । तो भी, अगर एक सदस्य एक जमा राशि जो उस के सचंयी निधि के समतुल्य हो कमिया जैसा निधियों के अभाव जमानती उसके निष्कासन हिसाब/अकौंटस् प्रगट करने का क्रयसीमा को पुनः स्थापना उसके कमियो को पूरा करने के सात किया जायेगा । ऐसे जमा राशी को एक्सचेंज मे दस रोलिंग बन्दोबस्तों की अवधि तक रखा जाता और इसे मुक्त करेगा अगर और अधीक निधियो के कमियों का प्रतिवेधन/रिपोर्ट सदस्य पर किया हो तो और अगला दस रोलिंग बंदोबस्त मे रहा तो। सदस्य को कोई प्रगट करने का कोई लाभ नही दिया जाता या कोई सूद/ब्याज का भुगतान उसके धन राशी जो जमा/निक्षिप्त हो जब निधियों को निधिं के कमिया जमानत होता है। सदस्यों को निधिया के कमियों का जमानीती को नकद फिक्सड/मीयादि जमा किया हुआ रसीदो अथवा बैंक गॉरंटी के द्वारा किया जा सकता है । बाकी/बकाया धन पर दंडात्मकध्/पेनल सूद जो 0.9% प्रतिदिन 0.07% प्रतिदिन के बजाय होगा।

सेबि पत्र अंक : सेबि/एस.एम.डि/एस.ई 21/2003/18/05 तारीक 5/06/2003

बै.ला. अंक 65 जो बै.लाज सक्यचेंज के है जो रहेगा और है यहा और दिये गये शब्दो मिलालेते हुये अर्थात बै.ला. अंक 65 मे संधारा गया है ।

65A प्रभाव लागत हिसाबात/परिकलनों का उपयोग जो दुसरा एक्सचेंज का बै.लाज मे रहे कोई वीशय पर मुकाबला न करते हुए। प्रतिभूति पत्रो को सीमान्त के उस के वर्गीकरण के अनुसार जिस मे इसे शामिल किया हुआ उसके आधार पर किया जाता । प्रतिभूति पत्रो का वर्गीकरण समूह-। और समूह-।। और ।।। को सक्युलर का पराआ के अंक 1 से 5 मे उल्लेख किया है । हिसाबात का काय-प्रणाली माध्यम(mean) प्रभाव लागत का है उसे पारा अंक 6 के - i ता iv मे दिया है जो पहले बताया गया सर्क्युलर का है । यह निश्चिय हुआ है के चंद स्टाक एक्सचंजो को बी.एस. सी या एन एस सी का प्रभाव लागत को उपयोग मे लेने का अज्ञा है एक शर्त पर अगर वह स्टाक एक्सचेंजो अगर औपचारिक कानूनि क्रम उसके संम्बधित स्टाक एक्सचेंजो (बी.एस.ई या एन.एस.ई.) औपचारिक कानूनि क्रम उनके सदस्या के परिसमापन करने के लिये अगर अवश्य हो तो, स्टाक एक्साचंज पर (बी.एस.ई. अथवा एन.एस.ई.)

अगर एक्सचेंज माध्यम(meansऋ प्रभाव लागत को सगंपान(compute) करने न होता यह प्रतिभूतिपत्र जो स्टाक एक्सचेंज से विक्रय किया हो, उस के सात क्लाज - 3 जो ऊपर कहा गया है उसके आधार पर यह औपचारिक क्रम स्थियों के परिसमापन के लिये, यह वसूलि मार्जिने प्रतिभूति पत्र के ऊपर समूह-।। को लागू होने योग्य जैसा अथवा समूह-।।। के जैसा सेबि सर्क्युर अंक एस.एम.डीध्पालिसि सर्क्युर-9/2003 तारिक मार्च 11, 2003 में दिये जैसा जो की वर्गकिरण प्रतिभूतिपत्र समुह-। या समूह-।। के बीच वर्गकिरण यह एक्सचेंजो पर संभव नही ।

सेबि के पत्र अंक : सेबि/एस.एम.डि/एस.ई./सर्क्युलर-18/2003/02/06 तारीक 02/06/2003 के आधार पर सुधारा गया ।

कृते हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज

ह./- अपठनीय
कार्यकारी निदेशक

THE DELHI STOCK EXCHANGE ASSOCIATION LTD.

Regd. Office: DSE House, 3/1, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002

Amendment in the Bye-laws of The Delhi Stock Exchange Association Ltd. by insertion of new Bye-laws No. 224A, 43A and 269(d) and amendment in existing Bye-law No. 366A, 62 and 63 and by insertion of new Bye-laws No. 173A, and 283A duly approved by Securities and Exchange Board of India vide their letter No. MRD/DSA/17948/03 dated 22th September, 2003 and MRD/DSA/18463/03 dated 29th September, 2003 respectively.

224A: Issuance of Contract Notes in electronic form

The brokers can issue the contract notes in electronic form authenticated by means of digital signatures, provided that brokers have obtained digital signature certificate from the Certifying Authority under IT Act, 2000.

43A: Eligibility of a member to trade through the subsidiary company

Only members who are eligible to trade on the stock exchange are eligible to trade/continue to trade through the subsidiary company.

269(d): In respect of disputes between members and non-members the arbitration committees/arbitration councils/arbitration panels shall consists of persons other than members of stock exchange who shall be nominated with prior approval of the Board.

366A: 1. In cases where amount shortages in a settlement for a trading member are in excess of the base minimum capital (BMC) prescribed, the trading facility of the member shall be withdrawn and the securities pay-out due to the members shall be withheld. The trading facility of the member shall be withdrawn and the securities pay-out due to the member shall be withheld, even in cases where the amount of shortages exceed 20% of the BMC and is less than the BMC on six occasions within a period of three months.

On recovery of the complete shortages, the member shall be permitted to trade with a reduced gross exposure as follows:

Cumulative Funds Shortages	Exposures limit allowed (%of current exposure limit)
20% of BMC-50% of BMC	80%
50% of BMC-100% of BMC	60%

This reduced gross exposure level shall be maintained for the members for ten rolling settlements. If the cumulative funds shortages for the next ten settlements is less than 20% of BMC, the exposure limits shall be restored. However, if a member provides a deposit equivalent to his cumulative fund shortages as the 'funds shortage collateral' in his clearing account the exposure limit may be restored immediately upon meeting the shortage. Such deposit shall be kept with the exchange for a period of ten rolling settlements and shall be released only if no further funds shortages are reported for the member in next ten rolling settlements. The members shall not be given any exposure benefit or any interest payment on the amount so deposited as 'funds shortage collateral'. Members may deposit the funds shortage collateral by way of cash, fixed deposit receipts or bank guarantee.

2. The outstanding amount will carry a penal interest of not less than 0.07% per day.

62: Margin Requirements

Bargains in any security or securities shall be subject to the margin requirements prescribed in the relative Regulation or such other requirements as the Board of Directors and/or Securities and Exchange Board of India may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.

63: Form of Margin Deposit

The margin to be furnished by a member under these Bye laws and Regulations shall be provided by a deposit of cash or it may be provided in the form of a Deposit Receipt of a Bank approved by the Board of Directors or in securities approved by the Board of Directors and/or Securities and Exchange Board of India subject to such terms and conditions as the Board of Directors and/or Securities and Exchange Board of India may from time to time impose. Deposits of cash shall not carry interest and the securities deposited by a member valued at the ruling market price shall exceed the margin amount for the time being covered by them by such percentage as the Board of Directors and/or Securities and Exchange Board of India may from time to time prescribe.

173A: Close out mark up in respect of debentures and bonds traded on the Stock Exchange

The close out mark up of 5% would be applied in case of debentures and bonds which are assigned a credit rating of triple "A" (AAA) and above. However, for the other debentures and the bonds without the triple 'A' (AAA) rating, the existing closa out mark up of 20% shall be applicable as is applicable in the case of equities.

283A: The claimant/respondent shall have to deposit with the Exchange the amount of stamp paper in accordance with of claim filed by the claimant/counter claim filed by the respondent at the time of submission of such claim/counter claim. Tha Exchange shall out of such deposit purchase the stamp paper of requisite value and the excess amount, if any, will be refunded to the parties concerned.

For The Delhi Stock Exchange Association Ltd.

R. K. Agarwal
Asstt. Company Secretary

THE STOCK EXCHANGE, MUMBAI (BSE)

Whereas under Section 10 (4) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the making or the amendment or revision of any bye-law is subject to the condition of its previous publication.

Now, therefore, The Stock Exchange, Mumbai, hereto publishes the amended Bye-laws 249, 250, 262 and 274A of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange as approved and directed by SEBI vide its letter no. MRD/DSA/17510/03 dated the 15th September, 2003, as follows :

(1) AMENDMENT OF BYE-LAW 249(i) AND 249(ii)OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. MRD/DSA/17510/03 DATED THE 15TH SEPTEMBER, 2003.

Appointment of Arbitrators

249 (i) (a) All claims, differences and disputes which are required to be referred to arbitration under these Bye-laws and Regulations shall be referred to arbitration of a sole arbitrator or of three arbitrators to be appointed by the Executive Director or by the parties from the Panel of Arbitrators constituted by the Governing Board, in the manner provided in these Bye - laws and Regulations. The Executive Director shall appoint a sole arbitrator

(b) In an arbitral tribunal of three arbitrators, each party shall appoint one arbitrator and the third Arbitrator will be appointed by Executive Director. Those proposed arbitrators shall be from the panel of arbitrators constituted by the Governing Board. If any of the parties fail to appoint arbitrator within 10 days of the day he is asked to appoint arbitrator the Executive Director shall appoint such arbitrators in the manner provided in these Bye-laws. All the Bye-laws providing arbitration by a single arbitrator shall apply mutatis-mutandis to arbitration by three members.

(ii) While making an application for reference to arbitration, the claimant shall state the names of 3 proposed arbitrators from amongst the panel of arbitrators prepared as per Bye-law 262 (b)

(2) AMENDMENT OF BYE-LAW 250 OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. MRD/DSA/17510/03 DATED THE 15TH SEPTEMBER, 2003.

Appointment of Arbitrator by the Executive Director

250. (1) On payment in advance of the minimum fees of an arbitrator prescribed under these Bye-laws and Regulations by any party to a claim, difference or dispute, the Executive Director shall appoint an arbitrator ;

(a) if the parties have failed to agree as to the person to be appointed as the arbitrator.

(b) if the arbitrator dies or fails, refuses or neglects to act or becomes incapable of acting as an arbitrator before an award is made by him.

(2) An arbitrator to be appointed under clause (1) shall be from the panel of arbitrators prepared by the Governing Board as per bye-law 262 (b)

(3) While appointing arbitrator it shall be ensured that the arbitrator is independent and impartial not interested in any of the parties or the claim dispute or difference referred to in arbitration.

(3) AMENDMENT OF BYE-LAW 262 OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. MRD/DSA/17510/03 DATED THE 15TH SEPTEMBER, 2003.

Appointment of Arbitrators from Panel of Arbitrators

262 (a) The arbitrator appointed under these Bye-laws and Regulations in respect of an arbitration other than between members shall be from amongst persons nominated by the Governing Board to the panel of Arbitrators under Rule 170 (i)(a) .

(b) The Governing Board may from time to time nominate to the panel of arbitrators as provided under Rule 170(i)(a) such persons as it thinks suitable from amongst retired judges or other persons having knowledge or experience in the field of law, trade, commerce, industry, arbitration, securities market or stock exchange transactions. The Governing Board may also at its discretion and without assigning any reason remove a person from the panel of arbitrators. Such panel shall be reconstituted every year."

(c) The non-members nominated on the panel of arbitrators shall continue on the panel of arbitrators till they are replaced by the new non-members or they voluntarily resign, whichever event takes place earlier. In case of resignation, the vacancy shall be filled by appointing another eligible non-member on the panel.

(4) AMENDMENT OF BYE-LAW 274A OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. MRD/DSA/17510/03 DATED THE 15TH SEPTEMBER, 2003.

Appeal against Arbitral Award

274A. Appeal Bench :

1. The Executive Director of the Exchange shall constitute one or more Appeal Benches, each comprising of five arbitrators from the panel of arbitrators constituted by the Governing Board under Bye-law 262 (b).

2. None of the arbitrators who have heard the reference or passed the award shall be a member of the Appeal Bench hearing an appeal against that award.

3. A party dissatisfied with an Award may appeal to the Appeal Bench against such Award within 15 days of the receipt of such award.

4. The party appealing shall pay the necessary fees and charges for preferring the appeal as may be fixed by the Governing Board from time to time.

5. No appeal shall be entertained by the Arbitration Secretary against an award of the Lower Bench, unless the appellant has first deposited the amount awarded with the Exchange. If the amount awarded is deposited by the member and the same is credited in a separate account as contemplated under Bye-law 259(A), the debit made to the account of the member as provided in the said Bye-law shall be reversed.

6. The party placing the deposit shall be deemed to have agreed that on expiry of 3 months from the date of the decision of the Appeal Bench, the amount of such deposit may be handed over by the Exchange to the other party in accordance with the terms of decision in appeal unless the payment of such amount to the award holder is stayed by an order of the Court.

7. The Appeal Bench shall not proceed to hear the appeal unless the Exchange has certified that the required deposit has been made.

Provided however that when the account of the member has been debited by the Exchange in accordance with the provisions of Bye-law 259A and 274A(5) above, the Exchange shall neither be liable to any person for any purported loss occurring to them as a result of such debit as aforesaid nor shall be liable to pay any interest to anyone for any reason whatsoever.

Hearing and decision of Appeal

The Arbitration Secretary after all the formalities are complete shall issue notice to the respondent. A copy of the memo of Appeal shall accompany the notice and respondent shall be called upon to appear before the Appeal Bench on the date specified therein. On that day the Secretary shall place all papers before the Appeal Bench and the Appeal Bench shall on the same day or on some adjourned date hear the parties and shall make the award in writing giving their reasons for the award. The Award made by them shall be deemed to be final and binding on the parties. The judgement of the Appeal Bench shall be a majority judgement and the award shall be as per majority decision.

8. Signing of the Award

The Award made by the Appeal Bench shall be signed by all members of the Appeal Bench.

9. Publication of the Award :

After the award is made, a signed copy of the award shall be delivered to each party.

10. The Appeal to be decided expeditiously :

The Appeal shall be decided by the Appeal Bench expeditiously and as far as possible, within one month of the filing of the Appeal

11. Application of provisions relating to arbitrations

All the other Bye-laws of this chapter as far as may be applicable shall apply mutatis mutandis to the proceedings before the Appeal Bench and the award of the Appeal Bench. However, there shall be no appeal from the award of the Appeal Bench.

Any person interested in making any comments, in respect of the above amendments may please make a representation to that effect within a period of one month from the date of publication of this advertisement at the following address :

The Secretary,
The Stock Exchange, Mumbai
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai 400 001

For The Stock Exchange, Mumbai

V. G. Bhagat
Secretary.

25th September, 2003

Amendments (duly pre-published on Gazette of U.P., and Gazette of India on 27.09.2003) to the Bye-laws of The Uttar Pradesh Stock Exchange Association Limited, 14/113, Civil Lines, Kanpur-208 001

Amendment to Bye-laws regarding Comparison of Contracts, Duty to Compare, Failure to Compare and Cross Deliveries as approved by the Administrator on 07.08.2003 and SEBI vide letter No. MRD/DSA/UPSE/15461/03 dated 14.08.2003.

The following Bye-laws be deleted from the existing Bye-laws of the Exchange :—

Bye-law 74—Comparison of Contracts

Bye-law 75—Duty to Compare

Bye-law 78—Failure to Compare

Bye-law 81—Cross Deliveries

for U.P. STOCK EXCHANGE ASSN. LTD.

K. C. PANDEY
Executive Director

Bye-Law No: 363 of the Bye-Laws of the Exchange be and are hereby amended by incorporating the following words as Bye-Law No:363(B).

363(B) GUIDELINES FOR FAIR PRACTICES/CODE OF CONDUCT FOR PUBLIC REPRESENTATIVE AND SEBI NOMINEE DIRECTORS

"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,

Public Representative/SEBI Nominee Director shall

(A) Meetings & Minutes

a. Endeavour to attend all the board meetings and shall be liable to vacate his office if he remains absent for three consecutive meetings of the Board of Directors or does not attend 75% of the total meetings of the Board in a calendar year.

b. Not participate in the discussion of any subject matter in which any conflict of interest exists or arises, whether pecuniary or otherwise, and in such cases the same shall be disclosed and recorded in the minutes of the meeting.

c. Not encourage the circulation of agenda papers during the meeting, unless circumstances requires.

d. Meet themselves at least once in 6 months separately, if necessary, to exchange views on critical issues.

e. Offer their comments on the draft minutes and ensure that the same are incorporated in the final minutes.

f. Insist on the minutes of the previous meeting being placed for approval in subsequent meeting.

g. Endeavour to have the date of next meeting fixed at each Board Meeting in consultation with other members of the Governing Board.

h. Endeavour that in case where all the items of the agenda of a meeting were not covered for want of those, the next meeting is held within 15 days for considering the remaining items.

(B) Strategic Planning

a. participate in the formulation and execution of strategies in the best interest of the exchanges and contribute towards pro-active decision making at the Board level.

b. Give benefit of his experience and expertise to the exchange and provide assistance in strategic planning and execution of decisions when the Board is in the throes of a raging controversy.

(C) Regulatory Compliances

a. Endeavour to ensure that the Exchange abides by all the provisions of the SEBI Act, Securities Contracts (Regulation) Act, Rules, Regulations framed thereunder and the circulars, directions issued by the Government/SEBI from time to time.

b. Endeavour compliance at all levels so that the regulatory system does not suffer any breaches.

c. Endeavour to ensure that the Exchange takes commensurate steps to honour the time limit prescribed by SEBI for corrective action.

d. Not support any decision in the meeting of the Governing Board which may adversely affect the interest of investors and shall report forthwith any such decision to SEBI.

e. Endeavour that the arbitral award is given within the period stipulated in the bye Laws, rules or regulations of the Exchange and in any case, the award is delivered within 15 days after the final meeting.

(D) General Responsibility

a. be punctual and participate actively in the proceedings of the Meetings.

b. Place priority for redressing Investor Grievance, encourage fair trade practice, to become engine for the right growth of the securities industry.

c. Make use of every reasonable opportunity to enhance and improve his level of knowledge and endeavour to analyse and administer the exchange issues with professional competence, fairness, impartiality, efficiency and effectiveness.

d. Submit the necessary disclosures/statement of holdings/dealings in securities as required by the Exchange from time to time as per their Rules or Articles of Association.

e. Unless otherwise required by law, maintain confidentiality and shall not divulge/disclose any information obtained in the discharge of their duty. Further, no such information shall be used for personal gain.

f. Maintain the highest standards of personal integrity, truthfulness, honesty and fortitude in discharge of his duties in order to inspire public confidence and shall not engage in acts discreditable to his responsibilities.

g. Avoid any interest or activity which is in conflict with the conduct of his official duties.

h. Perform his duties in an independent and objective manner and avoid activities that may impair, or may appear to impair, his independence or objectivity.

i. Perform his duties with a positive attitude and constructively support open communication, creativity, dedication and compassion.

j. Not engage in any act involving moral turpitude, dishonesty, fraud, deceit, or misrepresentation or any other act prejudicial to the administration of the exchange".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO.SEBI/SMD/SEAD/Cir-29/03/07 DATED 03/07/2003)

Bye-law No: 221 of the Bye-laws of the Exchange be and is hereby amended by incorporating the following words as Bye-law No:221C.

221C. ISSUANCE OF CONTRACT NOTES IN ELECTRONIC FORM

"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,

The contract notes can be issued by the brokers in electronic form authenticated by means of digital signatures provided that the broker has obtained digital signature certificate from Certifying Authority under the IT Act, 2000".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/15/2003/29/04 DATED 29/04/2003)

:

Bye-law No: 419 of the Bye-laws of the Exchange be and is hereby incorporated with the following words:

419. ELIGIBILITY OF A SUB-BROKER TO TRADE THROUGH THE SUBSIDIARY COMPANY

"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,

The only members eligible to trade on the stock exchange are eligible to trade/continue to trade through the subsidiary company".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/Cir-20/2003/02/06 DATED 02/06/2003)

Bye-law No: 38 of the Bye-laws of the Exchange be and is hereby amended by incorporating the following words as Bye-law No:38A.

38A. LISTING FEES

"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,

The Exchange has the freedom to charge listing fees as it may deem fit without seeking approval of SEBI".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/25/2003/19/06 DATED 19/06/2003)

Bye-law No: 248 of the Bye-laws of the Exchange be and is hereby amended by incorporating the following words as Bye-law No:248A.

248A. CONSTITUTION OF ARBITRATION COMMITTEES AND ARBITRATION PANELS

"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,

The arbitration committees/arbitration councils / arbitration panels shall consist of persons other than members of the stock exchange who shall be nominated with prior approval of the Board".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/Cir-19/2003/02/06 DATED 02/06/2003)

Bye-law Nos:280 and 315 be and are hereby amended by adding the following Clause as Bye-Law Nos. 280A and 315 IA after Bye-Law No. 315L.

280A AND 315 IA : MAINTENANCE OF ARBITRATION RECORDS
"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations
The Exchange shall maintain and preserve all the arbitration records between the member and member or between member and non-member as follows:

01) The original arbitration award with acknowledgements shall be preserved permanently.
02) Other records pertaining to arbitration shall be preserved for five year from the date of award, in case the appeal for setting aside the award is not filed till such time.
03) In case, an appeal is filled, the records shall be preserved for five years from the date of final disposal by the Court.
04) The destruction of records shall be subject to the previous order in writing of the Executive Director of the Exchange.
05) The Exchange shall maintain a register wherein the brief particulars of the records destroyed shall be entered along with the certification regarding the date and mode of destruction".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO.SEBI/SMD/SE/13/2003/10/04 DATED 10/04/2003)

Bye-Law No: 25 of the Bye-laws of the Exchange be and are hereby amended by incorporating the following words as Bye-law No:25A.

25A UNIQUE CLIENT CODE BY EXCHANGES FOR MUTUAL FUNDS AND FIIs
"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,
The Exchange would generate the Unique Code for Mutual Fund and each Scheme of Mutual Fund, Foreign Institutional Investors (FIIs) and their sub-accounts".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/11/2003/31/03 DATED 31/03/2003)

Bye-law No: 418 of the Bye-laws of the Exchange be and is hereby incorporated with the following words:

418. MONTHLY DEVELOPMENT REPORT (MDR) FOR SUBSIDIARY FLOATED BY THE EXCHANGE
"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,

The Exchange shall submit monthly development report (MDR) for its subsidiary in the format prescribed by SEBI. The MDR for the subsidiary for the month shall be submitted to SEBI preferably within seven days from the close of each month.

The Exchange will submit the MDR for the Subsidiary in the prescribed format form the month of March 2003".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/12/2003/03/04 DATED 03/04/2003)

Bye-law No: 62 of the Bye-laws of the Exchange be and is hereby amended by incorporating the following words as Bye-law No:62B.

62B. COMPOSITION OF CAPITAL AND MARGINS
"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,
CAPITAL REQUIREMENT:
1. Cash and non-cash component of additional capital and margins

1.1 The minimum cash component of the additional capital and margins shall be increased from the existing level of 30% to 50%.

1.2 The cash component of additional capital and margins shall be increased to 50% in a manner so that this is complied with by the member brokers of the exchange by the end of June 2003.

1.3 The mark to market margin shall continue to be collected by the exchanges only in the form of cash, bank guarantee and FDRs as prescribed earlier by SEBI circular no. SMDRP/Policy/Cir-19/99 dated July 02, 1999

1.4 The cash component may be in the form of cash or cash equivalents. Cash equivalents would be as follows

1.5 Cash equivalent

a. Cash equivalent shall include FDRs, bank guarantees (as specified below), Government securities and units of the schemes of liquid mutual funds or government securities mutual funds (by whatever name called which invest in government securities).
b. The haircut for Government securities shall be 10%
c. The hair cut for units of the schemes of liquid mutual funds or government securities mutual funds (by whatever name called which invest in government securities) shall be atleast 10% of Net Asset Value (NAV).
d. The bank guarantees shall be considered as cash equivalent only if the guarantees have been provided by the banks whose networth is more than Rs.500 crores.

i) The exchanges shall lay down exposure limits either in rupee terms or as percentage of the Trade Guarantee Fund (TGF)/Settlement Guarantee Fund (SGF) that can be exposed to a single bank directly or indirectly and in any case the exposure of the TGF/SGF to any single bank shall not be more than 15% of the total liquid assets forming part of TGF/SGF of the exchange.

ii) The exposure as mentioned above would include guarantees provided by the bank for itself or for others as well as debt or equity securities of the bank which have been deposited by members for additional capital or margins.

2. Eligible Securities and its Valuation

2.1 While Section 1 specifies the cash and non-cash component of additional capital and margin and clause 1.5 in particular specifies the securities including the units of certain types of mutual fund schemes which could be considered as cash equivalent, this section specifies the type of securities, including equity shares, units of mutual funds which could be considered as eligible securities and hair cut for the purpose of non-cash component of base minimum capital, additional capital and margin.

Additional Capital

a. Equity shares classified in Group I at the stock exchange in accordance with the parameters of volatility and liquidity as prescribed in SEBI circular no. SMD/POLICY/CIR-9/2003 dated March 11, 2003 shall be eligible as security for the non-cash component of the additional capital and margin subject to haircut equivalent to the respective VaR of the equity shares.

b. Units of all mutual funds shall also be eligible security for the purpose of non-cash component of additional capital and margin subject to a haircut equivalent to the VaR of the unit's NAV plus any exit load charged by the mutual fund.

c. The valuation of a & b above shall be done on a daily basis.

Base Minimum Capital

d. The eligible shares for the purpose of the securities portion of the base minimum capital shall only be those which are classified as Group I in terms of the parameters of volatility and liquidity as stipulated in SEBI circular No. SMD/Policy/Cir-9/2003 dated March 11, 2003, subject to a standard haircut of 15%. However, the smaller stock exchanges can also accept the shares that are in the Group I of the BSE or the NSE for the purpose of base minimum capital. The valuation for these shares would be done atleast once a week. Thus the type of eligible securities for base minimum capital specified in SEBI circular No.SMDRP/Policy/Cir-19/1999 dated July 2, 1999, stands revised".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/Cir-22/2003/11/06 DATED 11/06/2003)

Bye-law No: 178 of the Bye-laws of the Exchange be and are hereby amended by incorporating the following words as Bye-law No:178(d).

178(d). CLOSE OUT MARK UP IN RESPECT OF DEBENTURES AND BONDS TRADED ON THE STOCK EXCHANGE

"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,

The mark up for the close out shall be 20% above the official closing price. This mark up was applicable to close out of equities.

Close out mark up of 5% would be applied in case of debentures and bonds which are assigned a credit rating of triple A and above. However, for the other debentures and the bonds without the triple A credit rating, the existing close out mark up of 20% shall be applicable as is applicable in the case of equities".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/Cir-26/2003/25/06 DATED 25/06/2003)

Bye-law No: 62 of the Bye-laws of the Exchange be and is hereby amended by incorporating the following words as Bye-law No:62A.

62A. BASE MINIMUM CAPITAL

"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,
"The exchanges having average daily turnover of less than Rs.1 crore for the past three consecutive months from the date of this circular may maintain the BMC at Rs.1 lakh. Besides, the exchanges which would have the average daily turnover less than Rs. 1 crore for any three consecutive months after the date of this circular would also be eligible to maintain the BMC at Rs.1 lakh. The excess of the BMC over Rs.1 lakh may be refunded to the member subject to the following conditions:

a. The member has been inactive at the stock exchange for the past 12 months, i.e. he has not carried out any transaction on that stock exchange during the past 12 months.
b. There are no investor complaints pending against the member.
c. There are no arbitration cases pending against the member.
d. The exchange shall retain/deduct/debit from the BMC to be refunded, the amount of any complaints/claims of the investors against the member and for dues crystallized and contingent to the exchange/SEBI arising out of pending arbitration cases, appealed arbitration awards, administrative expenses, SEBI turnover fees, etc.
e. The Exchange shall ensure that the member has paid the SEBI turnover fees and has obtained a No-Objection Certificate (NoC) from SEBI in this regard.

However, if the average daily turnover of the exchange exceeds the prescribed level of Rs.1 crore for a period of one month at any time after the date of this circular, the exchange shall enhance the requirement of the BMC of the members back to the level stipulated in SEBI Circular No.SMD/SED/RCG/270/96 dated January 19, 1996 and shall obtain undertaking to this effect from the members".
(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/Cir-24/2003/18/06 DATED 18/06/2003)

Bye-law No: 390 of the Bye-laws of the Exchange be and is hereby amended by incorporating the following words as Bye-law No:390B.

390B TRADE GUARANTEE FUND (TGF)/SETTLEMENT GUARANTEE FUND (SGF) - REDUCED EXPOSURE FOR TEN ROLLING SETTLEMENT
"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,

1. In cases where amount shortages in a settlement for a trading member are in excess of the base minimum capital (BMC) prescribed, the trading facility of the member shall be withdrawn and the securities pay-out due to the member shall be withheld. The trading facility of the member shall be withdrawn and the securities pay-out due to the member shall be withheld, even in cases where the amount of shortages exceed 20% of the BMC and is less than the BMC on six occasions within a period of three months.
On recovery of the complete shortages, the member shall be permitted to trade with a reduced gross exposure as follows:

Cumulative Funds shortage	Exposure limit allowed (% of current exposure limit)
20% of BMC - 50% of BMC	80%
50% of BMC - 100% of BMC	60%

This reduced gross exposure level shall be maintained for the member for ten rolling settlements. If the cumulative funds shortages for the next ten rolling settlements is less than 20% of BMC, the exposure limits shall be restored. However, if a member provides a deposit equivalent to his cumulative fund shortages as the 'funds shortage collateral' in his clearing account the exposure limit may be restored immediately upon meeting the shortage. Such deposit shall be kept with the Exchange for a period of ten rolling settlements and shall be released only if no further funds shortages are reported for the member in next ten rolling settlements. The member shall not be given any exposure benefit or any interest payment on the amount so deposited as 'funds shortage collateral'. Members may deposit the 'funds shortage collateral' by way of cash, fixed deposit receipts or bank guarantee.

The outstanding amount would carry a penal interest of not less than 0.09% per day than 0.07% per day".
(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/21/2003/05/06 DATED 05/06/2003)

Bye-law No: 65 of the Bye-laws of the Exchange be and is hereby amended by incorporating the following words as Bye-law No:65A.

65A. USE OF IMPACT COST CALCULATIONS OF ANOTHER EXCHANGE
"Notwithstanding anything contained in the Bye-laws or Regulations,
The scrips would be margined based on the categories in which it is included. The classification of scrips into Group I and Group II and III has been specified at para no.1-5 of the circular. The methodology for the calculation of the mean impact cost has been provided in para no. 6 -i-iv of the aforementioned circular.

It has been decided to allow such stock exchanges to use the impact cost of BSE or NSE provided that those stock exchanges have entered into a formal legal arrangement with the relevant stock exchanges (BSE or NSE) for liquidating the positions of their members if necessary, on that stock exchange. (BSE or NSE).

In case an exchange is unable to compute the mean impact cost of the scrips traded at the stock exchange, as well as have not been able to enter into a formal arrangement for liquidation of positions as stated in Clause 3 above, it shall levy margins on the scrips as applicable to Group II or Group III as provided in SEBI circular No. SMD/Policy/Cir-9/2003 dated March 11, 2003, as classification between scrips in Group I or Group II would not be possible at these Exchange".

(AMENDED AS PER SEBI LETTER NO. SEBI/SMD/SE/Cir-1B/2003/02/06 DATED 02/06/2003)

For The Hyderabad Stock Exchange Ltd.

Sd/- ILLEGIBLE
Executive Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003